कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 8623 दुर्ग, दिनांक 30/11/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under FOrest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ldt. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area - 2.963 ha. (पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/123989/2021)**

संदर्भ :– 1) आपका कार्या. पृ.क्र./भू–प्रबंध/ विद्युत/115–890ए/2614 दि. 15.11.2022.
2) व.म.अ. राजनांदगांव का पत्र क्र./तक.अधि./2227 दिनांक 28.11.2022.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, प्रकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार मण्डल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव द्वारा प्रतिवेदन में प्रभावित होने वाले कुल 21 वनकक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव से प्राप्त 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 8624 दुर्ग, दिनांक 30 /11/2022

प्रतिलिपि :– वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
29/11/22

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष :07744—225059 (का.), 226389 (नि) ई—मेल rajnandgaondfo@gmail.com

ज्ञापन क्र./तक.अधि/ 2227 राजनांदगांव, दिनांक 28.11.22

E-RECEIPT 9656 28/11/22 शाखा मु.व.सं (दु)

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.**

संदर्भ :— अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र पृ.क्रमांक/एफ—5—05/2022/10—2 दिनांक 04.11.2022

—0000—

विषयांतर्गत निवेदन है कि राजनांदगांव वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट, लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर द्वारा मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव अंतर्गत वनक्षेत्रों में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने की अनापत्ति चाही गई है। संदर्भित पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय द्वारा 02 बिन्दुओं की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है—

क्र.	विवरण	निराकरण
1.	मंडल प्रबंधक, पानाबरस परीयोजना मंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक/वविनि/2022/मा.चि./1274 दि. 02.08.2022 का हवाला देते हुए (कक्ष क्र. 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का लेख किया गया है, किन्तु मंडल प्रबंधक के उपरोक्त पत्र में स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दी गई है। अपितु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कृपया मंडल प्रबंधक से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के पत्र क्र./वविनि/2022/मा.चि./2189 दि. 16.11.2022 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र कक्ष क्र. 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463, 461 एवं 434 कुल वन कक्षों की संख्या 21 का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (**छायाप्रति संलग्न**)
2.	मंडल प्रबंधक, राजनांदगांव के पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा 20 वन कक्षों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव दिया गया है किन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में वन विकास निगम अंतर्गत 21 वन कक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। दोनो का मिलान करने पर राजनांदगांव वन वनमंडल के खुज्जी परिक्षेत्र के जंतर वनखंड के संरक्षित वन कक्ष क्र. पी. 434 हेतु मंडल प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया गया है। कृपया उक्त संबंध में वन विकास निगम से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें जिसमें कक्ष क्र. पी. 434 का भी उल्लेख हो।	

अतः 02 बिन्दुओं से संबंधित चाही गई जानकारी अनुशंसा सहित आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर समप्रेषित।

संलग्न :— **उपरोक्तानुसार।**

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

ज्ञापन क्र. / तक.अधि / 2228
राजनांदगांव, दिनांक 28.11.22

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.), अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट, लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

5/2022/MEMO

कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)
Phone/Fax: 07744-224079, E-mail: dmpanabaras@rediffmail.com

क्रमांक/वविनि/2022/मा.चि./ 2189 राजनांदगांव, दिनांक 16/11/2022

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
राजनांदगांव वन मंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha. के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– (1) असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेन्ट (कार्पो अफेयस) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर का पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दिनांक 05.05.2022
(2) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3577 दिनांक 23.05.2022
(3) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./8242 दिनांक 10.11.2022

—— 0 ——

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463, 461 एवं 434 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है। तत्संदर्भ में उपमंडल प्रबंधक के स्थल निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाता है कि उक्त भूमि में कार्य के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर सादर प्रेषित है।

सधन्यवाद,

संलग्न :– यथोपरि।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/वविनि/मा.चि./2022/ 2190 राजनांदगांव, दिनांक 16/11/2022

प्रतिलिपि :–

(1) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि., रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) उपमंडल प्रबंधक, राजनांदगांव/मोहला को सूचनार्थ।
(3) समस्त परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पानाबरस परियोजना मंडल को सूचनार्थ।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

उप मंडल प्रबंधक, प्रक्षेत्र– मोहला/राजनांदगांव

छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/उप मंडल प्रबंधक/ 39 मोहला–राजनांदगांव,दिनांक 16 /11/2022

प्रति,

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मण्डल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha. के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (1) प्रधान कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 03.06.2022
(2) मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 625 दिनांक 09.06.2022

—— 0 ——

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463, 461 एवं 434 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाही गई है। तत्संदर्भ में निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

16/11/2022
उप मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

D:\Backup July 2022\Year-2022\Word\Dewi\DYDM Letter.docx

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष :07744–225059 (का.), 226389 (नि) ई–मेल rajnandgaondfo@gmail.com

ज्ञापन क्र./तक.अधि/ 8242 राजनांदगांव, दिनांक 10-11-2022

प्रति,

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.

संदर्भ :– अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र पृ.क्रमांक/एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 04.11.2022

–0000–

विषयांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट, लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर द्वारा आपके पानाबरस परियोजना मंडल अंतर्गत वनक्षेत्रों में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु व्यपवर्तन की मांग की गई है। पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन किये जाने उपरांत 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतः पत्र में दिये गये निर्देशानुसार 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी का पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

ज्ञापन क्र./तक.अधि/ 8243 राजनांदगांव, दिनांक 10-11-2022

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट, लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

Email oke. 10.11.22

ok

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–05/2022/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 4/11/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.

संदर्भः– 1.विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.03.2022।
2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–890ए/2047, दिनांक 09.09.2022।

---00---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से चाही गई 04 बिंदुओं की अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण में पुनः त्रुटियां परिलक्षित हो रही है। संदर्भित पत्र क्र. 1 के बिंदु क्र. 2 में निम्नानुसार जानकारी चाहा गया था :–

"प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।"

2/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा उपरोक्त बिंदु के तारतम्य में संदर्भित पत्र क्र. 2 द्वारा प्रेषित जानकारी में निम्नानुसार त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

(i) मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक/वविनि/2022/मा.चि./1274, दि. 02.08.2022 का हवाला देते हुए (कक्ष क्र. 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का लेख किया गया है, किंतु मंडल प्रबंधक के उपरोक्त पत्र में स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दी गई है। अपितु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कृपया मंडल प्रबंधक से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

(ii) मंडल प्रबंधक, राजनांदगांव के पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा 20 वन कक्षों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव दिया गया है किंतु वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में वन विकास निगम अंतर्गत 21 वन कक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। दोनो का मिलान करने पर राजनांदगांव वन वनमंडल के खुज्जी परिक्षेत्र के जंतर वनखंड के संरक्षित वन कक्ष क्र. पी 434 हेतु मंडल प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया गया है। कृपया उक्त संबंध में वन विकास निगम से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें जिसमें कक्ष क्र. पी 434 का भी उल्लेख हो।

क्रमशः 2

o/c

3/– अतः निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदु पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ–5–05/2022/10–2
नवा रायपुर, दिनांक 4 /11/2022

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
4.महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रपत्र

वन भूमि का विवरण कंडिका क्रं. 04

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र / तहसील का नाम	प्रभावित वनखंड / ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि / राजस्व का प्रकार	वन कक्ष क्र. / खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिस्प्री	बोरिया	आरक्षित वन	FDC 544	1980	0.5	0.099
2	—"—	—"—	मिस्प्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 545	660	0.5	0.033
3	—"—	—"—	मिस्प्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 547	2220	0.5	0.111
4	—"—	—"—	खड़गांव	सिवनी	आरक्षित वन	FDC 551	400	0.5	0.020
5	—"—	—"—	उत्तर मानपुर	मानपुर (पूर्व)	आरक्षित वन	918	2600	0.5	0.130
6	—"—	—"—	मिस्प्री	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 573	460	0.5	0.023
7	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 513	1540	0.5	0.077
8	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 489	920	0.5	0.046
9	—"—	—"—	भोजटोला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 464	2600	0.5	0.130
10	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 463	420	0.5	0.021
11	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 461	1560	0.5	0.078
12	—"—	—"—	खुज्जी	रेंगाडबरी — कारूटोला	आरक्षित वन	668	1280	0.5	0.064
13	—"—	—"—	खुज्जी	गाटराखुज्जी जामनारा	आरक्षित वन	663	1940	0.5	0.097
14	—"—	—"—	बाघनदी	छुरियाभाग	आरक्षित वन	510	1340	0.5	0.067
15	—"—	—"—	बाघनदी	जोब	आरक्षित वन	625	2060	0.5	0.103
16	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	607	80	0.5	0.004
17	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	606	1140	0.5	0.057
18	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	608	40	0.5	0.002
19	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	605	3360	0.5	0.168
योग							26600	0.5	1.330

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खडगांव	टेकामटोला	संरक्षित वन	FDC 768	1020	0.5	0.051
2	—"—	—"—	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 527	280	0.5	0.014
3	—"—	—"—	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 526	620	0.5	0.031
4	—"—	—"—	उत्तर मानपुर	मानपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 917	1600	0.5	0.080
5	—"—	—"—	मिस्प्री	उरझे	संरक्षित वन	P 575	3920	0.5	0.196
6	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 558	940	0.5	0.047
7	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 515	3760	0.5	0.188
8	—"—	—"—	मोहला	चिलमटोला	संरक्षित वन	FDC 487	440	0.5	0.022
9	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 462	1520	0.5	0.076
10	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 460	1020	0.5	0.051
11	—"—	—"—	खुज्जी	जंतर	संरक्षित वन	FDC P 434	640	0.5	0.032
12	—"—	—"—	चौंकी	संसारगढ़	संरक्षित वन	P 746	280	0.5	0.014
13	—"—	—"—	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 433	1060	0.5	0.053
14	—"—	—"—	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 432	180	0.5	0.009
15	—"—	—"—	मोहला	अड़मागोंदी	संरक्षित वन	P 786	40	0.5	0.002
16	—"—	—"—	चौंकी	चौंकी	संरक्षित वन	P 715	480	0.5	0.024
17	—"—	—"—	चौंकी	भडसेना	संरक्षित वन	P 716	980	0.5	0.049
18	—"—	—"—	चौंकी	मोंगरा (पं.)	संरक्षित वन	P 719	320	0.5	0.016
19	—"—	—"—	चौंकी	चिल्हाटी	संरक्षित वन	P 731	1220	0.5	0.061
20	—"—	—"—	बाघनदी	टीपानगढ़ (उ.)	संरक्षित वन	P 639	200	0.5	0.010
21	—"—	—"—	बाघनदी	छुरियाडोंगरी	संरक्षित वन	P 640	420	0.5	0.021
22	—"—	—"—	बाघनदी	हाटबंजारी	संरक्षित वन	P 641	1240	0.5	0.062
23	—"—	—"—	चौंकी	मेरेगांव	संरक्षित वन	P 712	820	0.5	0.041
24	—"—	—"—	बाघनदी	गहिराभेडी	संरक्षित वन	P 658	840	0.5	0.042
25	—"—	—"—	खुज्जी	भीमपुरी (उ.)	संरक्षित वन	P 677	2140	0.5	0.107
26	—"—	—"—	खुज्जी	रेंगाडबरी – [illegible]	संरक्षित वन	P 674	1120	0.5	0.056
27	—"—	—"—	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	300	0.5	0.015
28	—"—	—"—	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	640	0.5	0.032
29	—"—	—"—	बाघनंदी	छुरिया	संरक्षित वन	P 654	960	0.5	0.048
30	—"—	—"—	बाघनदी	गोपालपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 648	1000	0.5	0.050
31	—"—	—"—	बाघनंदी	विचारपुर (पू.)	संरक्षित वन	P 626	960	0.5	0.048
योग							30960	0.5	1.548

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	37/2	60	0.5	0.003
2	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	38	220	0.5	0.011
3	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	41	60	0.5	0.003
4	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	61	60	0.5	0.003
5	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	63	80	0.5	0.004
6	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	165	240	0.5	0.012
7	—"—	—"—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	207	60	0.5	0.003
8	—"—	—"—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	209	120	0.5	0.006
9	—"—	—"—	छुरिया	कुहीखुर्द	राजस्व वन	97	140	0.5	0.007
10	—"—	—"—	अम्बागढ़ चौंकी	आमाटोला	राजस्व वन	117	20	0.5	0.001
11	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	627/1	40	0.5	0.002
12	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	630	100	0.5	0.005
13	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	641	40	0.5	0.002
14	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	656	20	0.5	0.001
15			छुरिया	सागर	राजस्व वन	275/1	440	0.5	0.022
योग							1700	0.5	0.085
कुल योग							59260	0.5	2.963

वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव